

# उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक

बिलासपुर, दिनांक : 06/02/2026

क्रमांक : 2958 / Works,  
V-1-3/2000 (Surajpur)

प्रति,

✓ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सूरजपुर (छ0ग0)

विषय -

सूरजपुर जिला न्यायालय भवन निर्माण कार्य हेतु आवंटित भूमि में से सज्जका वन भूमि एकका 1.82 हे. वन भूमि के व्यावर्तन बाबत।


संदर्भ -

आपका ज्ञाप क्रमांक-1496/घार-01-02/2015, सूरजपुर, दिनांक-06.11.2025.

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में यथानिर्देशित, अनुरोध है कि विधि विभाग, नया रायपुर, अटल नगर का पृष्ठा क्रमांक-FINACC/774/2025/21-वजट(Const.)/719, नया रायपुर, दिनांक -05.02.2026 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संगम - सूरजपुर (छ0ग0) को सूरजपुर जिला न्यायालय भवन निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि व्यावर्तन की शेष राशि रु. 14,85,000/- की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अतः आप कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संगम - सूरजपुर (छ0ग0) को यह निर्देशित करने का कष्ट करे कि उन्हें उक्त कार्य हेतु आवंटित राशि रुपये 14,85,000/- को वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, सूरजपुर को Campa खाता में जमा करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् आप उपरोक्त भूमि को आवंटित कराये एवं उक्त भूमि को पूर्ण रूप से अपने आधिपत्य में लेने के पश्चात् इस रजिस्ट्री को सूचित करने का कष्ट करे।

  
06/02/2026

(संतोष ठाकुर)

एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन)

बिलासपुर, दिनांक : \_\_\_/02/2025

पृष्ठांकन क्रमांक : \_\_\_/Works,  
V-1-3/2000 (Surajpur)

प्रतिलिपि:-

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संगम - सूरजपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(संतोष ठाकुर)

एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ शासन  
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर 492002

स्पॉड पोस्ट

क्र. 3054/113/21-बजट(Const.)/छ.ग./2024-25 नवा रायपुर, दिनांक 05 SEP 2024  
प्रति.

कार्यपालन अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग (भ./स.)  
संभाग - सूरजपुर (छ.ग.)

विषय : जिला न्यायालय भवन, सूरजपुर के निर्माण हेतु 1.82 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत।

—000—

राज्य शासन, एतद्वारा जिला न्यायालय भवन सूरजपुर के निर्माण के लिए 1.82 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु राशि रु. 49.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि मांग संख्या 67 - 4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय, 01 - कार्यालयों की इमारतें, 051 - निर्माण, 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य), 2450 - न्याय प्रशासन, 97 - निर्माण, 001 - भवन शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से विकलनीय होगी, साथ ही कार्य पूर्ण होने संबंधी वास्तविक स्थिति/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः इस कार्यालय को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे।

विषयांकित कार्य के संबंध में वित्त विभाग का जावक क्रमांक: 578/वित्त विभाग/ब-3/मंत्रालय (छ.ग.) दिनांक 30.08.2024 के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है।

(प्रशांत कुमार भास्कर)  
उप सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. /113/21-बजट(Const.)/छ.ग./2024-25 नवा रायपुर, दिनांक /09/2024  
प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके पत्र क्र. 5817/ Works, V-1-3/2000 (Surajpur), बिलासपुर, दिनांक 09.05.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ,
2. महालेखाकार, जीरो पाईट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर,
3. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
4. निज सचिव, मान. विधिमंत्री को माननीय विधिमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव (विधि) को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
6. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नार्थ ब्लॉक, निर्माण भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटलनगर को सूचनार्थ,
7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.),
8. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.),
9. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)
10. कोषालय अधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.),
11. बजट शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनिल पटेल)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
विधि और विधायी कार्य विभाग

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (0)

E-mail ID - dfo@surajpur@gmail.com

सूरजपुर, दिनांक 29/5/2025

क्रमांक/मा.चि./

3169

प्रति

कार्यपालन अभियंता  
लोक निर्माण विभाग सूरजपुर,

विषय-

Diversion of 1.820 line forest land in favour of PWD B and R Division Surajpur for Construction of new District Court Building under Forest Conservation Act 1980 at Surajpur District in the State of Chhattisgarh -reg.  
-पंजीयन क्रमांक/2013/095

संदर्भ-

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्र. /FC-I/ROCH-15/2022/963 दिनांक 12.10.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./585 दिनांक 27.01.2023
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./6725 दिनांक 26.09.2024

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-01 के द्वारा आवेदक संस्थान लोक निर्माण विभाग (न/स) संभाग सूरजपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित राजस्व वनभूमि ग्राम तिलसिंवा खसरा नं. 529 कुल रकबा 6394 हे. में से 1.820 हे. क्षेत्र में नवीन जिला कोर्ट भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्र./FC-I/ROCH-15/2022/963 दिनांक 12.10.2022 के द्वारा जारी की गयी थी।

कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्रमांक-02 एवं 03 के द्वारा आपको भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक-vi के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले राजस्व वनक्षेत्र 1.820 हे. हेतु प्रत्याशा मूल्य की राशि रु 1743160.00 एवं अधिरोपित शर्त क्रमांक- ii के परिपालन में परियोजना में प्रभावित राजस्व वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी राजस्व वनभूमि रकबा 3.640 हे. सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के वनपरिक्षेत्र रामानुजनागर अन्तर्गत ग्राम-बकिरमा तह. प्रेमनगर में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। चयनित क्षेत्र 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23) की वर्तमान दर अनुसार कुल आवश्यक राशि रु. 3198785.00 एवं वर्ष 2024-25 की वर्तमान दर अनुसार कुल आवश्यक राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो आज दिनांक तक आपके द्वारा कैम्पा खाता में जमा नहीं किया गया है। जो इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार वर्तमान दर अनुसार कुल आवश्यक राशि रु 4683399.00 मात्र है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	1743160.00
2	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 1.820 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) की राशि	4683399.00
	योग :-	6426559.00

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से संबंधित समस्त भुगतान खाता में जमा करने हेतु ई-चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साइट <http://parivesh.nic.in> द्वारा किया जायेगा। ई-चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साइट में ई-चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 1.820 है, के लिये प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि ₹ 59,10,000 (चौंसठ लाख छब्बीस हजार पांच सौ उनसठ रुपये) मात्र का भुगतान CAMPA खाता में ई-चालान के माध्यम से करने के लिये ई-चालान की कॉपी एवं प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोधित शर्तों का विन्दुवार पालन प्रतिबन्धन मय पृथक-पृथक प्रत्येक प्रसहित इस कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें। ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

क्रमांक/माचि/ 3170

वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर/वनमण्डल, सूरजपुर  
सूरजपुर, दिनांक 19/5/2025

- प्रतिनिधि:
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (धु-प्रबंध) ज.ग. रायपुर को सूचनाथ संप्रेषित।
  2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनाथ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
सूरजपुर, वनमण्डल, सूरजपुर

Certificate

- 1- Certified that Mts & Bill Material is recorded in M.B. No. 482 page No. 194 & 195 By Shri K.S. Parate Sub Engineer Premnagar on dated 09/02/26
- 2- The Bill is checked by S.D.O. P.W.D Sub Division Premnagar on dated 09/02/26
- 3- The Rate is reasonable as per रा.व.स.म.दि.स.दि. कंत्राट के किरी
- 4- The Material is taken in MAS/MDS/BF&C Account of Month 05/2025

Allocation अनुदान

Allocation :-

67-4059-0101 (2450) - 97-001

Rs. → ~~1485000.00~~  
~~6426559.00~~  
~~6426559.00~~

शु  
9/2/26  
 SDO

Mts & Bill checked by  
शु  
9/2/26

~~6426559.00~~ SDO  
~~6426559.00~~  
~~1485000.00~~

Passed for Payment Rs. 1485000.00  
 (Rs. Sixty four Lakh twenty six thousand  
 five hundred fifty nine only)

शु  
 Executive Engineer  
 P.W.D. (B/R), Division Suraj  
 distt. surajpur (C.G.)